प्रैस विज्ञप्ति
दिनांक-07.07.2021
थाना बीबीनगर पुलिस की सक्रियता से एक गोकशी की घटना होने से बची, गोकशी का प्रयास करते हुए कुख्यात गौकश(टॉप-10 अपराधी) सहित 02 गौकश 04 गौवंश जीवित, गौकशी के उपकरण सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती अलका के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 06/07.07.2021 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक बीबीनगर श्री योगेन्द्र कुमार मय टीम के क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधियों की धरपकड़ में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जंगल ग्राम परतापुर में कुछ गौकश/बदमाश गौकशी की घटना कारित करने के उद्देश्य से इकट्ठा है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना बीबीनगर मय पुलिस टीम के कार्यवाही करते हुए जंगल ग्राम परतापुर में पहुँचकर बदमाशों की घेराबंदी कर 02 कुख्यात गौकशों/बदमाशों को समय करीब रात्रि 02.00 बजे गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की तथा तीन अन्य अभियुक्त मौके से अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। मौके से एक जीवित गौवंश बैल व गौकशी के उपकरण आदि बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मुनन्न उर्फ नबाब पुत्र नूरइलाही निवासी मौ0 पीरखाँ कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2. बिलाल पुत्र नूरइलाही निवासी उपरोक्त

बरामदगी-

1. 04 जीवित गौवंश बैल,
2. गौकशी के उपकरण-04 छुरी, रस्सी आदि

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण दोनों सगे भाई है जो शातिर किस्म के अंतर्जनपदीय पशु तस्कर/गौकश है तथा अभियुक्त मुन्नन उर्फ नवाब थाना गुलावठी का टॉप-10 अपराधी है। अभियुक्तों द्वारा अपने फरार अन्य साथियों के साथ मिलकर रात्रि में जंगल में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर उनका वध कर मांस की तस्करी कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके है। गिरफ्तार अभियुक्त मुन्नन उर्फ नवाब के विरूद्ध थाना गुलावठी पर गौकशी/हत्या का प्रयास/पशु चोरी आदि संगीन अपराधों के करीब ढाई दर्जन अभियोग व अभियुक्त बिलाल के विरूद्ध गौकशी/हत्या का प्रयास/पशु चोरी आदि संगीन अपराधों के करीब 13 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-308/2021 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री योगेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बीबीनगर
2. अन्य कर्मचारीगण